क्रम संख्या–110 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शनिवार, 22 नवम्बर, 2025 ई0

अग्रहायण 01, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

संख्या– 3247/रा0नि0आ0–3/4364/2025

देहरादून, 22 नवम्बर, 2025

आदेश

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024–25 में प्रतिभाग करने वाले निम्न तालिका में उल्लिखित उम्मीदवार, राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" के प्राविधानानुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के फलस्वरूप संबंधित उम्मीदवारों को कॉलम–6 में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये जिनके माध्यम से अपेक्षा की गयी कि नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर निर्वाचन लड़ने से संबंधित पद का निर्वाचन व्यय का पूरा लेखा/लिखित आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), पिथौरागढ़ को प्रस्तुत/प्रेषित करेंगे। उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस का विवरण निम्नानुसार है:–

निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में असफल उम्मीदवारों का विवरण

क्र0स	निकाय का नाम	उम्मीदवार का नाम	पद	उम्मीदवार का पता एवं वार्ड संख्या	आयोग द्वारा प्रेशित कारण बताओ नोटिस संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.		प्रमोद भट्ट	सभासद	वार्ड–3 निराडा, नगर निगम, पिथौरागढ़	संख्या–423/07.05.2025
2.		जर्नादन दत्त लेखक	सभासद	वार्ड–3 निराडा,नगर निगम, पिथौरागढ़	संख्या–424/07.05.2025

3.	नगर निगम, पिथौरागढ़	दीपक चन्द्र कापडी,	सभासद	वार्ड–07 शिव विहार, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–425/07.05.2025
4.		जगदीश सिंह लुन्ठी	सभासद	वार्ड–07 शिव विहार, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–426/07.05.2025
5.		नवीन चन्द्र भट्ट,	सभासद	वार्ड–11 भाटकोट, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–428/07.05.2025
6.		कमलेश भट्ट,	सभासद	वार्ड–11 भाटकोट, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–429/07.05.2025
7.		अभिषेक अधिकारी,	सभासद	वार्ड–14 पदमपुर कालौनी, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–430/07.05.2025
8.	नगर निगम, पिथौरागढ़	रोमिल जोशी,	सभासद	वार्ड–15 भदेलवाडा, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–431/07.05.2025
9		नरेन्द्र सिंह,	सभासद	वार्ड–15 भदेलवाडा, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–432/07.05.2025
10.		देवकी राणा,	सभासद	वार्ड–16 चन्द्रभागा,नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–433/07.05.2025
11		योगेश चन्द्र,	सभासद	वार्ड–17 ढुंगखानी, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–434/07.05.2025
12		जितेन्द्र सिंह भण्डारी,	सभासद	वार्ड–19 कृष्णापुरी, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–435/07.05.2025
13		पुष्पा रावत,	सभासद	वार्ड–21 कुजौली, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–436/07.05.2025
14		अनिल कुमार उप्रेती	सभासद	वार्ड–22 जागृति कॉलौनी,नगर निगम, पिथौरागढ	संख्या–437/07.05.2025
15		मोहम्मद सरफराज,	सभासद	वार्ड–24 पुराना बाजार, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–438/07.05.2025
16		केवलानन्द उपाध्याय,	सभासद	वार्ड–27 पितरौटा, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–439/07.05.2025
17		उषा बिष्ट,	सभासद	वार्ड–31 पश्चिमी सिनेमा लाईन, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–441/07.05.2025
18		रेनू सुभाष पुनेडा,	सभासद	वार्ड–35 पुनेडी, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–442/07.05.2025
19		समशेर मोहम्मद,	सभासद	वार्ड–36 सेरा चण्डाक, नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–443/07.05.2025
20		नीरज भट्ट,	सभासद	वार्ड–38 मल्ली जाखनी,नगर निगम, पिथौरागढ़,	संख्या–445/07.05.2025
21	ना0पा0प डीडीहाट	भूपेन्द्र लाल,	सदस्य	वार्ड–02 जी0आई0सी0 वार्ड, नगर पालिका परिषद्, डीडीहाट,	संख्या–447/07.05.2025
22	न0पं0, मुनस्यारी	बिमला देवी,	सदस्य	वार्ड–04 बूँगा, नगर पंचायत, मुनस्यारी,	संख्या–448/07.05.2025

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित समस्त उम्मीदवारों को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी संबंधित उम्मीदवारों द्वारा नियत समय तक निर्वाचन व्यय लेखा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), पिथौरागढ़ को प्रस्तुत/प्रेषित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 13–छ के खण्ड (थ) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 46 के खण्ड (न) तथा राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024"

संख्या–1389/रा0नि0आ0–3/2763/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 द्वारा नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायिक औचित्य नहीं होने पर आदेश के दिनांक से तीन (03) वर्ष के लिए अनर्ह घोषित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अतः आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आयोग के उक्त आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के प्रस्तर–6(8) में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), पिथौरागढ़ से प्राप्त संस्तुति/सहमति के आधार पर उक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्ति/उम्मीदवारों को नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में प्रतिभाग करने हेतु इस आदेश के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष के लिए एतद्द्वारा अनर्ह घोषित किया जाता है।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51/निर्वा0/494–2025–100+10 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।